वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 23.09.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, जनसंदेश टाइम्स, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 23.09.2025

सील के बाद भी करवा रहे थे काम बिल्डर पर केस, तीन निर्माण सील

वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम ने की कार्रवाई, पहले भी दिया गया था नोटिस

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को तीन अवैध निर्माण सील कर बिल्डर मोहम्मद रिजवान पर एफआईआर दर्ज की गई है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि तीनों स्थलों पर बार-बार सील तोड़कर चोरी-छिपे निर्माण कराया जा रहा था। पुष्टि होने पर जोन-4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार और अवर अभियंता सोनू कुमार की तहरीर पर केस हुआ है।

शिवाला में नोटिस देने के बाद भी भवन स्वामी अनवर जमाल अवैध निर्माण करवा रहे थे। निर्माण कार्य रोकने के लिए स्थल को सील किया गया, फिर भी सील तोड़कर चोरी-छिपे काम कराया जा रहा था। अनधिकृत निर्माण होने पर स्थल को पुनः सील किया गया। गौरीगंज होटल डायमंड के पास भवन स्वामी आशीष जायसवाल के यहां अवैध निर्माण हो रहा था। बिना मानचित्र स्वीकृति लगभग 199.37 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण किया गया। सुनवाई में अनुपस्थित रहने के बाद भी चोरी-छिपे निर्माण किया गया। सील की कार्रवाई की गई थी। फिर भी पुनः अवैध निर्माण कराया गया। अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए स्थल को सील कर दिया गया। देवरिया वीर, अंसार नगर में भवन स्वामी अब्दुल रब व अन्य के यहां अवैध निर्माण हो रहा था। बिना मानचित्र स्वीकृति 1500 वर्गफीट क्षेत्रफल में बेसमेंट और भूतल का निर्माण किया गया। जिसके बाद कार्रवाई की गई।

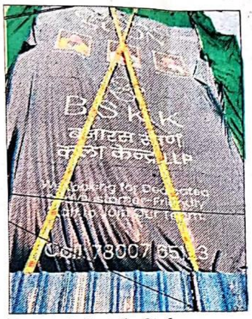

शिवाला में सील अवैध निर्माण। अमर उजाला

वीडीए के मास्टर प्लान में निगम के नव विस्तारित इलाके

वाराणसी। वीडीए के मास्टर प्लान में नगर निगम के नव विस्तारित इलाके भी हैं। जिनका समग्र विकास होगा। वीडीए और नगर निगम ने एक दूसरे की कार्ययोजना का आदान प्रदान किया है। पहले चरण में जल निगम ने सीवर, पेयजल और वाटर ड्रेनेज की सुविधा का खाका तैयार किया है। इसके बाद अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे।

नव विस्तारित इलाकों में सड़क, बिजली की भी व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। संबंधित विभागों से समन्वय बनाया गया है। मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड के दोनों तरफ 200 मीटर क्षेत्र का विकास होगा। आवासीय और कॉमर्शियल निर्माण होगा।

होटल, मॉल, अस्पताल, स्कूल व कॉलेज का निर्माण तेजी से हो सकेगा। सर्किट हाउस, कमिश्नरी, वीडीए आदि सरकारी भवनों के आसपास ऊंची बिल्डिंग बनाने की अनुमति वीडीए नहीं देता था। अब यहां होने वाले निर्माणों की ऊंचाई 12.5 से बढ़ाकर 17.5 मीटर की गई। इससे यहां ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकेगी।

नए हाईवे फैसिलिटी जोन का प्रावधान किया गया है। किनारे स्कूल-कॉलेज, हॉस्पिटल, अन्य बड़े संस्थान आसानी से खोले जा सकेंगे। चौड़ी सड़कों के किनारे 30 मीटर ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया है। इसके बाद ही कोई निर्माण कार्य होगा।

ग्रीन बेल्ट को वन विभाग व अन्य सरकारी योजनाओं के तहत विकसित किया जाएगा। लोगों को घर बैठे लैंड यूज की जानकारी मिलेगी।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार, मास्टर प्लान में नगर निगम के नव विस्तारित इलाके भी हैं। मास्टर प्लान में सारनाथ क्षेत्र में नौ पुरातात्विक परिसर को छोड़कर बाकी क्षेत्र को हेरिटेज जोन से मुक्त किया गया है। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 23.09.2025

अवैध निर्माण पर बिल्डर मोहम्मद रिजवान के खिलाफ केस

- सील तोड़कर रात में चोरी-छिपे निर्माण करने पर दोबारा किया गया सील
- क्षेत्र में अवैध निर्माण मिलने पर वीडीए उपाध्यक्ष ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सील भवन में निर्माण होने पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए जोनल अधिकारी को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सील भवनों में निर्माण मिलने पर अवर अभियंता संग क्षेत्रीय कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने सील तोड़कर निर्माण करने पर बिल्डर मोहम्मद रिजवान के खिलाफ भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जोनल अधिकारी ने बताया कि भेलूपुर वार्ड के शिवाला में मकान नंबर बी-3/321 अनवर जमाल के निर्माण करने पर नोटिस जारी करने के साथ सील करने की कार्रवाई की गई थी। सील तोड़कर चोरी-छिपे अवैध निर्माण जारी था। होटल डायमंड के पास गौरीगंज में मकान नंबर बी-12/112-J-4-5 के आशीष जायसवाल बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कर रहे थे। नोटिस जारी करने के साथ सुनवाई के लिए भवन स्वामी को बुलाया गया था। निर्माण लगातार जारी रहने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। फिर भी सील तोड़कर निर्माण जारी रहा। देवरियावीर अंसार नगर में मकान नंबर बी-19/17-3 के अब्दुल रब समेत अन्य लोग अवैध निर्माण कर रहे थे। यहां भी सील तोड़कर अवैध निर्माण जारी रहा। दोबारा सील करने की कार्रवाई की गई। जोनल अधिकारी ने बताया कि तीनों अवैध निर्माण रात में चोरी-छिपे बिल्डर करा रहा था। शिकायत है कि बिल्डर मोहम्मद रिजवान क्षेत्र में कई अवैध निर्माण कराने का ठेका लेता है। सुपरवाइजर से अवैध निर्माण की सूची मांगी गई जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके।

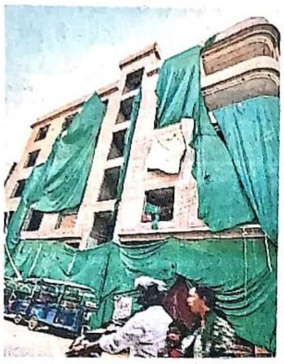

भेलूपुर में सील अवैध निर्माण में चोरी-छिपे जारी था निर्माण • स्रोत: वीडीए

जनसंदेश टाइम्स–दि0 23.09.2025

नक्शा पास करने संग कराएं श्रमिकों का पंजीकरण

बैठक

डीएम ने भवन निर्माण का मानचित्र पास करने वाले विभागों को दिया निर्देश

लेबर अड्डों पर सुविधाएं विकसित करने को मांगा प्रस्ताव

डीएम की बैठक में शामिल विभिन्न विभागीय अधिकारी।

वाराणसी। जिले में भवन निर्माण का मानचित्र पास करने वाली संस्थाएं सभी परियोजनाओं पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराएंगी। जिलाधिकारी ने वीडीए, जिला पंचायत, आवास विकास परिषद समेत अन्य निर्माण कार्यदायी संस्थाओं व विभागों को कराये जा रहे निर्माण कार्यों व परियोजनाओं का पंजीकरण कराने के साथ ही श्रमिकों का भी रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है।

उन्होंने प्रत्येक निर्माण कार्य के सापेक्ष उपकर संग्रहण व उपकर निर्धारण कर श्रमिकों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सोमवार को राइफल क्लब में जिला स्तरीय श्रम समिति की बैठक की। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने निर्माण श्रमिकों के पंजीयन व उनके लिए संचालित योजनाओं व उपकर संग्रहण की सहायक श्रम आयुक्त से जानकारी ली।

उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं व विभागों को अधिष्ठान पंजीयन व उपकर जमा करने के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने जनपद के सभी लेबर अड्डों का नगर निगम के साथ समन्वय कर संयुक्त रूप से निरीक्षण कर श्रमिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम विभाग के तहत उप्र भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संचालित कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से श्रमिक पंजीयन कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने मनरेगा श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जोड़ने को ग्राम्य विकास विभाग से समन्वय कर ब्लाक स्तर पर कैंप लगाने का निर्देश दिया।

श्रमिक संगठनों की मांग पर विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत योजित वादों के संबंध में वसूली संबंधी को त्वरित गति से कराने तथा बाल श्रम उन्मूलन के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में सीडीओ हिमांशु नागपाल, एडीएम प्रशासन विपिन कुमार, अपर नगर आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा विभिन्न श्रमिक एवं सेवायोजक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

हिन्दुस्तान–दि0 23.09.2025

सील तोड़कर निर्माण करने में बिल्डर पर केस

वाराणसी। सील तोड़कर अवैध निर्माण कराने पर वीडीए ने बिल्डर मो. रिजवान के खिलाफ भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुनः तीनों स्थानों को सील किया है। बगैर नक्शा पास कराए दोबारा निर्माण न करने की चेतावनी भी दी है।

शिवाला में अनवर जमाल, गौरीगंज में आशीष जायसवाल और अंसार नगर (भेलूपुर) में अब्दुल रब की जमीन पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण चल रहा था। पूर्व में वीडीए ने निरीक्षण के दौरान तीनों जगहों को सील कर दिया था। लेकिन बिल्डर मो. रिजवान सील तोड़कर चोरी-छिपे एवं रात में अवैध निर्माण करा था। वीडीए को जानकारी मिली तो टीम मौके पर गई। देखा कि तीनों जगह निर्माण चल रहा था। इसके बाद केस दर्ज कराया गया।